न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 03/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/65

अनवान

1. रूड़ाराम पुत्र श्री जीवाराम, जाति कलबी, उम्र 60 साल, निवासी सिद्धेश्वर तहसील सांचोर, जिला जालोर (राज.)

प्रार्थी ....

1. तलसाराम पुत्र मला, जाति सुथार, निवासी अगार, तहसील सांचोर, जिला जालोर।
2. देवीलाल पुत्र मला, जाति सुथार, निवासी अगार, तहसील सांचोर, जिला जालोर।
3. रणसाराम पुत्र मला, जाति सुथार, निवासी अगार, तहसील सांचोर, जिला जालोर।
4. वना पुत्र अचला फौत के कायम मुकामः–
   4 अ. रमेश कुमार पुत्र वनाराम, जाति सुथार, निवासी अगार, तहसील सांचोर, जिला जालोर।
   4 ब. कमलेश पुत्र वनाराम, जाति सुथार, निवासी अगार, तहसील सांचोर, जिला जालोर।
5. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर।
6. व्यवस्थापक–राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सांचोर।
7. शांतिलाल पुत्र अवाराराम सुधार नि. अगार

अप्रार्थीगण.....................

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 29.05.2024

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 से 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 4 अ, 4 ब, 6 एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
5. अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–20.02.2026

1. प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम अगार, पटवार हल्का कीलवा, उपखण्ड सांचौर में खसरा नं. 368 रकबा 1.63 हैक्टेयर स्थित है। उक्त खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 369 रकबा 0.50 हेक्टेयर व खसरा नं. 370 रकबा रकबा 0.43 में से होकर 4 मीटर चौड़ाई में निकटतम व सुविधाजनक मार्ग है, जो अगार से डबाल जाने वाली ग्रेवल सड़क को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपयुक्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। आपसी

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहमति न बनने के कारण प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है, जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जाए। रास्ते के अभाव में खेतों में आवागमन, कृषि कार्य, बच्चों के स्कूल आने–जाने, आवश्यक सामग्री लाने–ले जाने आदि में भारी कठिनाई हो रही है। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि आवेदित भूमि को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने तथा अप्रार्थीगण को रास्ते में बाधा उत्पन्न न करने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी किया जाए।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी सं 1 से 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 अ, 4 ब, 6 एकपक्षीय। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 01 अस्वीकार है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 368 रकबा 1.63 हैक्टेयर, मौजा अगार, पटवार हल्का कीलवा तक आने–जाने हेतु खसरा संख्या 376 रकबा 0.07 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन रास्ता) तथा खसरा संख्या 371 के पूर्वी सेढ़े की ओर से रास्ता उपलब्ध है। उक्त रास्ते से प्रार्थी वर्तमान में निर्बाध रूप से आवागमन करता है तथा उसी मार्ग पर उसने लोहे का गेट भी लगाया हुआ है। अतः खसरा संख्या 369 व 370 में से प्रस्तावित नया रास्ता देना अनुचित व अनावश्यक है। पैरा संख्या 02 भी अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा खेत क्रय करने से पूर्व से ही खसरा संख्या 376 का गैर मुमकिन रास्ता उपलब्ध है, जो अगार से डभाल जाने वाली ग्रेवल सड़क से जुड़ता है। उक्त मार्ग से खेती, कृषि उपकरण एवं सामग्री लाने–ले जाने में कोई बाधा नहीं है। प्रार्थी खेत पर निवास भी नहीं करता तथा उसे कभी रास्ते की असुविधा नहीं रही। अतः जब वैकल्पिक, सुगम व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है, तो प्रस्तावित मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र आधारहीन व मनगढ़त होने से खारिज किया जावे।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त भूमि ग्राम अगार, पटवार हल्का कीलवा, उपखण्ड सांचौर में खसरा नं. 368 रकबा 1.63 हेक्टेयर स्थित है। खेत में आने–जाने हेतु 4 मीटर चौड़ा रास्ता खसरा नं. 369 (0.50 हे.) व 370 (0.43 हे.) से होकर अगार–डबाल ग्रेवल सड़क तक निकटतम व उपयुक्त मार्ग है। अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। आपसी सहमति न बनने पर धारा 251(ए) काश्तकारी अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रस्तावित मार्ग नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित है। रास्ते के अभाव में आवागमन व कृषि कार्य में कठिनाई हो रही है। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर देने को तैयार है। अतः भूमि को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर बाधा न करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेश जारी किया जाए।

5. अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा 01 अस्वीकार है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 368 (1.63 हे.), मौजा अगार तक खसरा नं. 376 (0.07 हे., गैर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

मुमकिन रास्ता) तथा खसरा नं. 371 के पूर्वी सेढ़े से मार्ग उपलब्ध है, जिससे वह वर्तमान में निर्बाध आवागमन कर रहा है और उसी पर गेट लगा रखा है। अतः खसरा नं. 369 व 370 से नया रास्ता देना अनावश्यक है। पैरा 02 भी अस्वीकार है। खसरा नं. 376 का रास्ता पूर्व से उपलब्ध होकर अगार–डभाल ग्रेवल सड़क से जुड़ा है, जिससे कृषि कार्य में कोई बाधा नहीं है। प्रार्थी खेत पर निवास भी नहीं करता और उसे कभी असुविधा नहीं रही। इसलिए प्रस्तावित मार्ग की आवश्यकता नहीं है तथा प्रार्थना पत्र निराधार होने से खारिज किया जाए।

6. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अध्ययन एवं अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :–

251'क' :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना विद्यमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति , उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि:–

(i) यह आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है : –

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है द्वारा सीमाकिंत या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये, भूमि में से होकर यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अनाधिक तक विस्तारित चौड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने का नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाये पर जो विहित रिती से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाऐगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति जिनको उपधारा (1)में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब खातेदार को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, तब नया मार्ग स्वीकृत किया जायेगा।

7. प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा नम्बर 368 रकबा 1.63 हैक्टर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सांचौर के पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1864 दिनांक 15.05.2025 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट एव भू अभिलेख निरीक्षण सांचौर की मौका फर्द दिनांक 12.05.2025 अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी खेत मौजा अगार के खसरा नम्बर 368 में आवागमन हेतु की गई मांग के नजदीकतम पड़ौसी खातेदारों द्वारा अस्थायी रुप से निजी उपयोग के लिए खसरा नम्बर 376 एवं 371 में से अस्थायी रास्ता है जिसकी लंबाई 220 मीटर है। प्रार्थी द्वारा की गई मांग अनुसार खसरा संख्या 369 व 370 की कुल लम्बाई 127 मीटर जो निकटतम व व्यवहारिक है। प्रस्तावित मार्ग के बीच में खसरा नम्बर 370 में एक्स स्थान पर ओरड़ी का निर्माण किया। जिस पर रखे गये सीमेंट के पतरे गिर कर टूट गये तथा उक्त स्थान पर किसी का निवास नहीं है। उक्त भूमि की किस्म चाही दोयम व जाव दोयम है। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा नं 368 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के सरहद मौजा अगार पटवार हल्का किलवा के खसरा संख्या 369 में से 04 मीटर चौड़ाई व 69 मीटर लम्बाई व खसरा संख्या 370 में से 04 मीटर चौड़ाई व 58 मीटर लम्बाई अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी के खसरा नं. 368 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 370, 369 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एव भू अभिलेख निरीक्षक सांचौर की जांच रिपोर्ट अनुसार 04 मीटर चौड़ाई अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा अगार पटवार हल्का किलवा के खसरा संख्या 369 में से 04 मीटर चौड़ाई व 69 मीटर लम्बाई व खसरा संख्या 370 में से 04 मीटर चौड़ाई व 58 मीटर लम्बाई अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:— आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा संख्या 370 व 369 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही

अनवानः— रमेश बनाम तलसा
मुकदमा नम्बरः— 03/2024
निर्णय तारीखः— 20.02.2026

राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर